पत्रांक—BSEB(SS)/KEN/1071/2022

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक : 09/11/2022

विषयः इन्टरमीडिएट **वार्षिक परीक्षा, 2024 में सम्मिलित होने हेतु कक्षा 11वीं में नियमित कोटि के अध्ययनरत एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं का सूचीकरण/अनुमति आवेदन पत्र +2 स्तर के शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2024 (सत्र 2022—24) में सम्मिलित होने के लिए राज्य के +2 स्तर के शिक्षा प्रदान करने वाले सभी कोटि के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कक्षा 11वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र/छात्राओं का सूचीकरण/अनुमति आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान के प्रधान के माध्यम से दिनांक 09.11.2022 से 30.11.2022 तक ऑनलाइन भरने एवं शुल्क जमा करने हेतु **समिति की विज्ञप्ति संख्या—पी0आर0 214/2022 ज्ञापांक**—BSEB(SS)/KEN/**1068/2022, दिनांक 08.11.2022** द्वारा संसूचित की गई है। इस विज्ञप्ति की प्रति आपके ई—मेल आई0डी0 पर भी प्रेषित किया गया है।

2. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि केवल मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के प्रधान द्वारा ही वैध छात्र/छात्राओं का सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरा जायेगा एवं निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा। जिन शिक्षण संस्थानों की मान्यता/संबद्धता रद्द/निलंबित/वापस ले ली गयी है, वैसे शिक्षण संस्थानों से सूचीकरण/अनुमति आवेदन कदापि नहीं भरा जायेगा।

3. अंकनीय है कि सत्र 2022—24 से राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकायों के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा—**सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाईल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टीज० (IT/ITes)** ट्रेड के पठन पाठन की शुरूआत की गयी है, जिनकी सूची समिति के पोर्टल/वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐच्छिक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा। वैसे चिहिन्त +2 विद्यालयों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है, के 25 विद्यार्थियों द्वारा उपरोक्त ट्रेड समूह में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना एवं उसकी परीक्षा (सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि कि, इसके प्राप्तांक की गणना श्रेणी निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/swap) नहीं किया जाएगा। **राज्य/जिला के अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं** के द्वारा इन विषयों का **चयन नहीं** किया जाएगा।

4. वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि **सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों के प्रधान को विशेष रूप से सूचित करना सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षण संस्थान के अर्हता प्राप्त छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए सूचीकरण/अनुमति आवेदन की सतर्कतापूर्वक जाँच करने के उपरांत ही अपनी निगरानी एवं देख—रेख में समिति के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ इसकी एक प्रति भी अनिवार्य रूप से संधारित करेंगे ताकि किसी भी तरह के त्रुटि के सुधार की स्थिति में इसकी सत्यापित प्रति समिति को प्राप्त करायी जा सके। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण सूचीकरण प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु शिक्षण संस्थान के प्रधान पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।** समिति द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति के संदर्भ में एवं निर्गत विस्तृत अनुदेश के आलोक में अपने जिलान्तर्गत अधीनस्थ सभी +2 स्तर के शिक्षण संस्थान के प्रधान को आवश्यक कार्रवाई हेतु स्पष्ट निदेश देने की कृपा की जाय ताकि अर्हता प्राप्त कोई छात्र/छात्रा सूचीकरण/अनुमति आवेदन भरने से वंचित न रहें।

5. विदित हो कि राज्य में कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के द्वारा विस्तृत दिशा–निदेश निर्गत है, जिससे सभी शिक्षण संस्थान के प्रधान अवगत हैं। इस परिदृश्य में उपर्युक्त कार्य के दरम्यान सभी ऐहतियाती कार्रवाई का अनुपालन करने हेतु शिक्षण संस्थान के प्रधान को निदेशित करेंगे।

6. कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन

9.11.22

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : BSEB(SS)/KEN/---1071-----/2022 पटना, दिनांक : ..09.. / ..11.. / 2022